भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1314

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

'प्रसाद' योजना के अंतर्गत मंदिरों के लिए निधि का आवंटन

1314. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने धार्मिक पर्यटन अनुभवों को बढ़ावा देने हेतु मंदिरों के विकास हेतु तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक अनुमोदित निधि और कार्यों का धार्मिक स्थल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत लोक देवता तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल और नागौर में गुरु जम्भेश्वर की तपस्थली मुकाम के लिए कोई निधि स्वीकृत करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) के तहत राजस्थान राज्य सहित देश भर में पूर्व-चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान में 32.64 करोड़ रुपए की लागत से 'पुष्कर/अजमेर में एकीकृत विकास' नामक एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है और इसमें से 26.11 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की जा चुकी है।

परियोजना के तहत की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अजमेर शरीफ दरगाह का विकास।

(ii) दिल्ली गेट और दरगाह गेट चौक का सुधार कार्य।

(iii) रेलवे एवं बस स्टैंड पर पर्यटक सूचना कियोस्क, पुष्कर सरोवर, पुष्कर मार्केट स्ट्रीट का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य।
(iv) पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, सावित्री माता मंदिर एवं परिक्रमा पथ में विकास कार्य।

(ग) और (घ): लोक देवता तेजाजी की जन्मस्थली, खरनाल और नागौर स्थित गुरु जम्भेश्वर की तपोस्थली, मुकाम को प्रशाद के अंतर्गत विकसित करने का कोई भी प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों की प्राप्ति एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जाँच की जाती है और नियत शर्तों की पूर्ति एवं धन की उपलब्धता के अध्यधीन इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****